अधिसूचना सं0 9/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 11 जुलाई, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,--

(अ) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) के उपखंड (i) में,--

(क) मद (अ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(अअ) किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई सेवा के संबंध में, सेवा का प्राप्तिकर्ता ;";

(ख) मद (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ङङ) किसी कंपनी या निगमित निकाय के निदेशक द्वारा ऐसी कंपनी या निगमित निकाय को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए करार की गई सेवा के संबंध में, ऐसी सेवा का प्राप्तिकर्ता ;";

(आ) उक्त नियमों के नियम 6 में 1 अक्तूबर, 2014 से उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक निर्धारिती उसके द्वारा संदेय सेवा कर का संदाय इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में करेगा :

परन्तु अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, निर्धारिती को इन्टरनेट बैंकिग से भिन्न किसी पद्धति द्वारा सेवा कर जमा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।" ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 546(अ) तारीख 28 जून, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 749(अ) तारीख 22 नवम्बर, 2013 द्वारा, अधिसूचना सं. 16/2013-सेवा कर, तारीख 22 नवम्बर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।